स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश

स्वच्छ हिमाचल
स्वस्थ हिमाचल

स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोएं

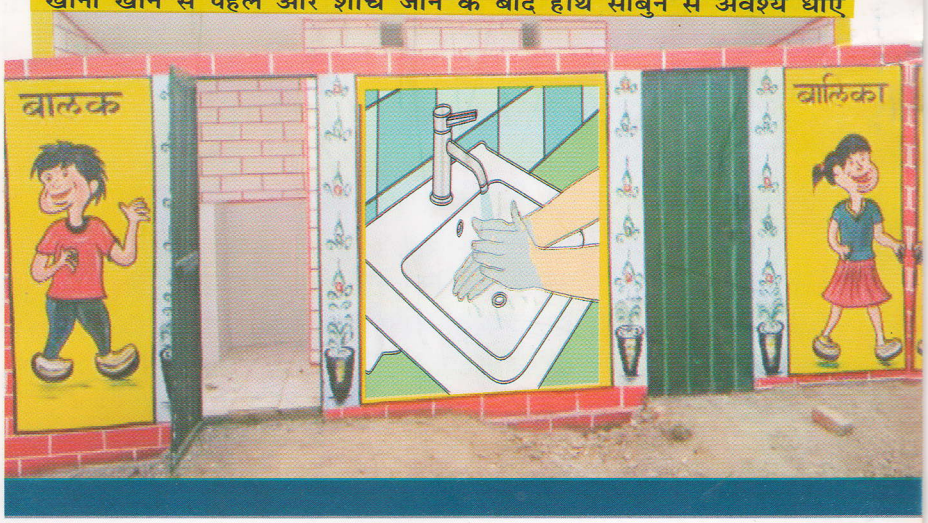

ज़िला-ग्रामीण विकास अभिकरण

हमीरपुर

जन सूचना अभियान

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वच्छ भारत

महात्मा गांधी ने कहा था सफाई स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सफाई और स्वच्छता को गांधीवादी जीवन-शैली को अभिन्न अंग बना दिया था। सबके लिए पूर्ण स्वच्छता उनका सपना था। अत:

क) शौचालय ठोस और द्रव्य मैले की निष्कासन के प्रबंध, गांव की सफाई ''और''

ख) पर्याप्त मात्रा में साफ और पेयजल जैसी सुविधाओं का प्रबंध करना।

यह लक्ष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धा-सुमन भेंट करने के रूप में वर्ष 2019 तक प्राप्त करना है।

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए के माध्यम से 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और भी प्रभावी ढंग से चलाने के लिए केन्द्र सरकार पहली अप्रैल, 2012 से निर्मल भारत अभियान चला रही है जिसे पहले सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार ग्रामीण लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नाम की योजना चलाई जा रही है।

स्वच्छ भारत अभियान

इस अभियान का वर्तमान लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों के लिए 2022 तक स्वच्छता का प्रबंध करना है। स्वच्छ भारत अभियान तहत अब इससे भी पहले 2019 तक भारत को खुले में शौच करने वाले अभिशाप से मुक्त करना है। यह काम व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा ठोस और द्रव्य फोकट के निष्कासन प्रबंधों द्वारा भारत को साफ रखा जाएगा। सभी गांवों में पानी की पाईपों के जाल बिछाया जाएगा ताकि 2019 तक मांग किए जाने पर घरों में नल लगाए जा सकें। इस संबंध में सभी मंत्रालयों, केन्द्रीय और प्रांतीय योजनाओं द्विपक्षीय और कई दूसरी ओर से वित्तीय संसाधनों को जुटाना और इसके अतिरिक्त नए संसाधनों की तलाश करना भी आवश्यक हो सकता है। भारत जैसे संघीय ढांचे में जहां स्वच्छता और जल आपूर्ति प्रांतीय विषय है, यह और भी आवश्यक हो जाता है कि सभी केन्द्रीय अथवा प्रांतीय स्कीमों के संयोग से प्रांत 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहल करें।

बेहतर ग्रामीण स्वच्छता की आवश्यकता

भारत 121 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है जहां समूचे विश्व की जनसंख्या का छठा भाग निवास करता है। पिछली सदी के आठवें दशक के आरंभ में

देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा एक प्रतिशत था। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के 1986 में जारी होने से और 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान के शुरू हो जाने से 2001 की जनगणना के अनुसार स्वच्छता दर 22 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारतीय जनसंख्या के 16 करोड़ 78 लाख घरों में से 72.2 प्रतिशत लगभग 6 लाख 38 हजार गांवों में रहते हैं। इनमें से केवल 5 करोड़ 48 लाख घरों 32.7 प्रतिशत को ही शौचालयों की सुविधा प्राप्त थी। अर्थात देश के ग्रामीण घरों में 67.3 प्रतिशत अभी भी स्वच्छता की सुविधा से वंचित है।

हांलाकि शौचालय की जरूरत तो सबके लिए ही होती है परन्तु महिलाओं और विशेषतया लड़कियों के लिए सुरक्षित और साफ शौचालय विशेष रूप से लाभदायक है। खुले में शौच की विवशता से मुक्त होकर अब उन्हें इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लज्जा अथवा शारीरिक शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता। बहुत सी महिलाएं जिनके घरों में शौचालय नहीं बने हुए उन्हें बाहर शौच के लिए जाने के लिए अंधेरे की प्रतिक्षा करनी पड़ती है और इस प्रकार उस समय बाहर जाने से उन्हें वासना के दरिंदो के हाथों बलात्कार अथवा अन्य किसी प्रकार के शारीरिक शोषण का जोखिम उठाना पड़ता है।

स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का अर्थ है कि वे जवानी की दहलीज पर पांव रखने के बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक वहीं पढ़ती रहें। देश के सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाना आज एक अहम जरूरत बन गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के वर्तमान अंश

1) व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण :-

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण जिसमें सफाई एवं हाथ धोने के लिये पानी की सुविधा और हाथ धोने के युनिट सहित शौचालय यूनिट शामिल है। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (सर्वे 2012 के अनुसार) तथा मनरेगा से 12000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2) सामुदायिक स्वच्छता समूहों के शौचालय (केन्द्र-राज्य-लाभपात्र अनुपात) 60:30:10)

ऐसे शौचालयों के लिए व्यवस्था : 2.00 लाख रूपये तक धनराशी प्रदान की जाती है।)

3) ठोस कचरा व तरल प्रबन्धन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निम्न कार्य करवाये जा सकते हैं।

क) ठोस कचरा प्रबन्धन कार्य :-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस कचरे के लिये पृथक्करण/अलगाव संग्रहण केन्द्र का निर्माण करना।

2. ग्राम पंचायत स्तर/वार्ड स्तर पर डम्पिंग/फिलिंग/लैंडफिल साईट का निर्माण करवाना।
3. सामुदायिक/घरेलू स्तर पर कंपोस्ट पिट/वर्मी कंपोस्ट पिटों का निर्माण करवाना।
4. मासिक धर्म के दौरान हुये अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिये उपयुक्त स्थानों पर भष्मक (इनमिनरेटर) का निर्माण करवाना।
5. घर-2 (Door to Door) से कचरा इकत्रित करने के लिये व्यवस्था तथा संग्रहण केन्द्र का निर्माण करना।
6. व्यक्तिगत एवं सामुदायिक बायो गैस संयंत्र का निर्माण।

ख) तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य :-

1. व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर सोखता/लीच पिटों का निर्माण।
2. गांव स्तर/वार्ड स्तर पर गंदे पानी की निकासी के लिये कम कीमत की नालियां का निर्माण।

इन पर विचार किया जा सकता है।

3. अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (प्रौद्योगिकी)।
4. डकवीड आधारित गंदा जल शोधन केन्द्र।
5. अवायुजीवी (अनोरोबिक) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन।
6. सामुदायिक स्तर पर गंदे पानी को तालाब में एकत्रित व शोधन करके सिंचाई उपयोग के लिये।

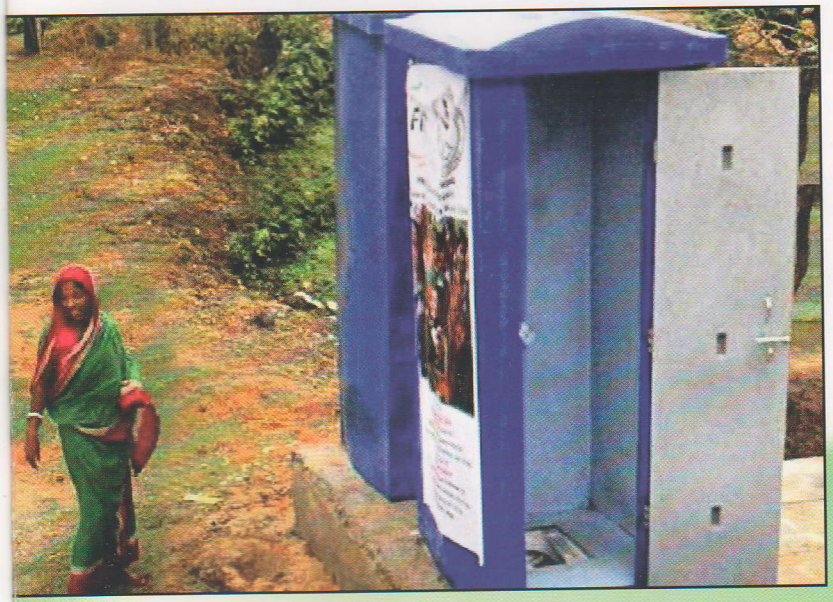

स्वच्छ भारत के लक्ष्य

बेस लाईन सर्वेक्षण 2012 के अनुसार 8 करोड़ 84 लाख घरों के लिए शौचालयों की आवश्यकता है। इनमें गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर वाले दोनों प्रकार के लाभपात्र शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ भारत/निर्मल भारत अभियान तहत 8 करोड़ 84 लाख परिवारों को अगले 5 सालों में व्यक्तिगत शौचालयों की सुविधा दी जाएगी जिन पर प्रतिशत 1 करोड़ 77 लाख रूपए लागत आएगी।

शौचालयों की संख्या में वर्तमान वृद्धि दर 3 प्रतिशत है जो 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन गुना से भी अधिक अर्थात 10 प्रतिशत हो जाएगी। इस कार्य योजना अधीन 14 हजार शौचालय प्रतिदिन के निर्माण को बढ़ाकर 48 हजार करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के उपर रहने वाले अपात्रों और नकारा हो चुके शौचालयों की श्रेणी में आने वाले 2 करोड़ 27 लाख शौचालय समझाने बुझाने, प्रोत्साहन, सूचना, शिक्षा और संचार जैसे माध्यमों द्वारा और निर्माण किए जाने का भी प्रस्ताव है।

कार्य योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित ढ़ंग से काम किया जाएगा।

क) पानी और स्वच्छता के विषयों पर प्रांतो से एक समझौता किया जाएगा जिसके तहत वे 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगेऔर साथ ही 2019 तक दोनों सुविधाओं की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संरचना तैयार की जाएगी।

ख) राज्यों को केन्द्र द्वारा यथा समय फंड जारी करना ताकि देर होने से केन्द्र पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े।

ग) अच्छा होगा यदि राज्यों को मौजूदा पात्रता वाले फार्मूले द्वारा फंड जारी करने से पानी और स्वच्छता दोनों के लिए प्रोजेक्टों के आधार पर फंड जारी किए जांए। ये अग्रिम नहीं बल्कि बाद में भुगतान करने के लिए आधार पर दिए जांए।

घ) नाबार्ड और एसआइडीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा लघु ऋणों का एक ऐसा प्रबंध कायम करना ताकि उनके घरों की शौचालय बनाने के लिए ऋण दिया जा सके जो या तो प्रोत्साहन के लिए सुयोग पात्र नहीं या वे नहाने वाले स्थान सहित बढ़िया शौचालय

बनाने के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं।

ङ) स्वच्छता समन्वयकों का ब्लॉक स्तरीय काडर तैयार करना जो स्वच्छता कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाने और इन्हें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए मुख्य सहायक सिद्ध होगा।

च) देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक स्वच्छता दूत की पहचान करने और उसे स्वच्छता से संबंधित निपुणता से लैस करना और कार्यकुशलता से संबंधित प्रोत्साहन वाला पुरस्कार भी देना।

छ) मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर खास निगरानी की जाएगी बेस लाईन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक घर-परिवार का नाम तो अभी हाल ही में जाना जा चुका है। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य के उच्चाधिारियों को चाहिए कि वे सरपंचों को फोन करके प्रगति का मूल्यांकन करें।

ज) बनकर तैयार हो चुके शौचालयों के वास्तव में प्रयोग किए जाने की सूचना एकत्र करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा।

झ) बढ़िया कार्यकुशलता दिखाने वाली ग्राम पंचायतों, ब्लॉक परिषदों, जिला परिषदों अर्थात् पंचायती राज संस्थानों के अलावा संस्थाओं, व्यक्तियों, कर्मचारियों और गैर-सरकारी संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्य चुनौतियां और आगे का रास्ता

ग्रामीण क्षेत्रों में 59 करोड़ लोग बाहर खुले में शौच के लिए जाते हैं। जनसंख्या के एक बड़े भाग की ऐसे खुले में शौच जाने की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। कई लोग घरों में भला-चंगा शौचालय होने के बावजूद वे खेतों में जाकर शौच करने को प्राथमिकता देते हैं। अत: सबसे बड़ी चुनौती तो लोगों के ऐसे व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनको शौचालय का प्रयोग करने का आदि बनाना।

शौचालयों में प्रयोग के लिए पानी की आवश्यकता को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समितियों के माध्यम से ज़िला स्तर पर पूरा किया जाएगा। पहले से बने शौचालय जो नकारा हो चुके हैं उन्हें भी दोबारा बनाया जा सकता है जिसके लिए बैंकों से प्राथमिकी क्षेत्रों अधीन छोटे ऋणों का संसाधन जुटाया जा सकता है।

राज्य स्तर पर प्रशासनिक मूलभूत ढांचे को जल आपूर्ति और स्वच्छता विभागों को एक दूसरे में मिला कर दृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वर्तमान समय में पाए जान वाले संशय और दोहराव की समस्या दूर हो सके। इस प्रकार ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के लिए कर्मचारियों की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।